

नवा भारत



भोपाल
70 वां वर्ष
संस्करण



4

ट्रंप ने दिखाया गजब का खेल हड़पेगा वेनेजुएला का तेल



5

2.89 करोड़ वोटों के नाम कटे



8

सबालेंका की जीत से शुरुआत



9

घरेलू मांग बनेगी अर्थव्यवस्था की ताकत

एक नजर में



विरोध को कम करने ट्रंप का नया पैतरा

वॉशिंगटन. इन दिनों दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चर्चा का विषय बने हुए हैं. उनके हाल के कार्रवाई (वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अपहरण) ने तो दुनिया को चौंका दिया. उनकी इस कार्रवाई का अमेरिका में ही लगातार विरोध हो रहा है. विरोध को करने राष्ट्रपति ट्रंप ने नया पैतरा चला है. उन्होंने किया है कि उनके द्वारा लगाए गए टैरिफ से अमेरिका को 600 अरब डॉलर मिलने वाला है. इसकी जानकारी उन्होंने ट्यू सोशल के जरिए दी. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि अमेरिका को टैरिफ से 600 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक धन प्राप्त होगा.

हाइड्रोजन कार स्वच्छ

गतिशीलता का भविष्य

नई दिल्ली. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को हाइड्रोजन कार अपनाने पर मंगलवार को बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह कार स्वच्छ गतिशीलता का भविष्य है. नितिन गडकरी ने एक्स पोस्ट में कहा कि उन्होंने जोशी के साथ इस उल्लेखनीय वाहन में थोड़ी झड़क का आनंद लिया, जो स्वच्छ गतिशीलता के भविष्य को दर्शाता है. गडकरी ने कहा, हाइड्रोजन भारत की ऊर्जा संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

आंध्र प्रदेश में गैस के कुएं

में लगी भीषण आग

मोरी. डॉ. बीआर आंबेडकर कोनासीमा जिले में गैस के एक कुएं में आग लग गई. खबर लिखे जाने तक आग पर काबू नहीं पाया गया था. आग बुझाने के लिए मुंबई और दिल्ली से तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) की विशेषज्ञ टीम पहुंची. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि आग की तीव्रता में कमी नहीं आई है. ओएनजीसी के स्वामित्व वाले मोरी-पांच कुएं में गैस रिसाव के बाद सोमवार को मोरी और इरसुमदा गांवों के पास करीब 25 मीटर के भूभाग में आग भड़क उठी थी और 20 मीटर ऊंची लपटें देखी गईं.

इंसांनों से ज्यादा कुत्तों

पर आ रही याचिकाएं

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने आगरा कुत्तों से जुड़े मामलों में दाखिल हो रही याचिकाओं की बाढ़ पर हेराना जताई है. मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप मेहता ने टिप्पणी की कि इंसांनों से संबंधित मामलों में भी आमतौर पर इतनी बड़ी संख्या में अंतरिम आवेदन नहीं आते, जितने कुत्तों के मुद्दे पर आ रहे हैं. कोर्ट ने आश्वासन दिया कि बुधवार को सभी पक्षकारों को दलीलें सुनी जाएंगी. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह टिप्पणी तब की जब दो वकीलों ने उनके सामने आगरा कुत्तों से संबंधित मामला उठाया.

गुस्ताखी माफ



गोबल सलेक्शन कमेटी को कब उठाना है बाँस ?!

मैं आज भी निर्दोष राष्ट्रपति : मादुरो

यूएस कोर्ट में नार्को-टेररिज्म के आरोपों से वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का इंकार

वॉशिंगटन, 06 जनवरी. वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका लाकर न्यूयॉर्क के मैनहटन स्थित फेडरल कोर्ट में पेश किए जाने से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है. हथकड़ियों में अदालत पहुंचे मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस पर ड्रग तस्करी और अवैध हथियारों से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं. वहीं वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया. उन्होंने कहा, मैं बेगुनाह हूँ, मैं आज भी अपने देश का राष्ट्रपति हूँ.

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच का नतीजा है. वहीं मादुरो ने खुद को निर्दोष बताते हुए अब भी वेनेजुएला का राष्ट्रपति होने का दावा किया है. इस मामले ने अमेरिका-वेनेजुएला संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया है और वैश्विक स्तर पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.



ट्रंप के विरोध में आए सात यूरोपीय देश, पत्र पर किए साइन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर दिए गए बयान पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने सोमवार को करा हा मला बोला और उन्होंने कहा कि डेनमार्क को अमेरिका वेनेजुएला समझने की कोशिश न करे. फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को लेकर एक संयुक्त बयान जारी किया है. इसमें कहा गया है कि आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा यूरोप की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है और ग्रीनलैंड के भविष्य पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ डेनमार्क को है.

वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति मादुरो के वकील ने उनकी गिरफ्तारी को मिलिट्री एबडक्शन यानी सैन्य अपहरण करार दिया और कहा कि इस मामले में लंबी और जटिल कानूनी लड़ाई होगी. फिलहाल मादुरो ने रिहाई की मांग नहीं की है, वहीं मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस के वकील ने गंभीर चोटों का हवाला देते हुए मेडिकल जांच की मांग की.

मादुरो की पत्नी की आंखों में जख्म, पसलियों में फ्रैक्चर

रिपोर्ट में खुलासा

अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान हुई जख्मी

अमेरिकी सेना के वेनेजुएला ऑपरेशन में अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस को काफ़ी चोटें आई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक 69 साल की फ्लोरेस जब न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश हुईं तब उनके चेहरे पर दो पट्टियां लगी थीं. एक पट्टी आंख के ऊपर और दूसरी माथे पर थी. उनकी पहिनी आंख पर चोट का नीला निशान साफ दिखाई दे रहा था. फ्लोरेस के वकील मार्क डोनेली ने कोर्ट को बताया कि ये चोटें उस वक्त लगीं, जब अमेरिकी सेना ने उन्हें पकड़ा था.

कोर्ट में पेशी के दौरान थके

नजर आए पति-पत्नी

सुनवाई के दौरान फ्लोरेस को डिफेंस टैबल पर बैठने के लिए सहारे की जरूरत पड़ी. वहीं मादुरो खड़े होकर स्पेनिश भाषा में बोले, जिसका अनुवाद कोर्ट के नियुक्त अनुवादक ने किया. बताया गया कि दोनों शारीरिक रूप से काफ़ी थके और कमजोर नजर आ रहे थे. बता दें 63 साल के मादुरो और 69 साल की फ्लोरेस को अमेरिका ने 3 जनवरी, शनिवार को वेनेजुएला में अमेरिकी सेना ने हिरासत में लिया था.

क्षेत्रीय अस्थिरता की संभावना को लेकर चिंतित : गुटरेस

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटीनियो गुटरेस ने अमेरिकी कार्रवाई और राष्ट्रपति मादुरो को पकड़े जाने के बाद वेनेजुएला में बढ़ती अस्थिरता पर चिंता जताई है, यद्यपि अमेरिका ने आश्वासन दिया है कि इस मध्य अमेरिकी देश पर कब्जा करने की उसकी कोई योजना नहीं है. वह चिंतित है कि तीन जनवरी की सैन्य कार्रवाई के संबंध में अंतरराष्ट्रीय कानून के नियमों का सम्मान नहीं किया गया है.

बांग्लादेश में दुकान संचालक की हत्या

24 घंटे में दूसरी हत्या

18 दिनों में छह हिंदुओं की हत्या

ढाका, 6 जनवरी. बांग्लादेश के नरसिंदी जिले में सोमवार रात एक हिंदू दुकानदार की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 40 वर्षीय शरत चक्रवर्ती मणि के रूप में हुई है. यह बीते 18 दिनों में छठे हिंदू व्यक्ति की हत्या है. शरत चक्रवर्ती मणि पलाश उपजिला के चारसिंदूर बाजार में अपनी किराना दुकान चला रहे थे. इसी दौरान अचानक पहुंचे अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए. गंभीर रूप से घायल मणि को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है. बता दें कि 19 दिसंबर को मणि ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर देश में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई थी और अपने इलाके को मौत की घाटी बताया था.



अपनी किराना दुकान चला रहे थे. इसी दौरान अचानक पहुंचे अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए. गंभीर रूप से घायल मणि को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है. बता दें कि 19 दिसंबर को मणि ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर देश में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई थी और अपने इलाके को मौत की घाटी बताया था.

बता दें कि सोमवार को जेसोर जिले के मोनिरामपुर इलाके में एक आइस फैक्ट्री मालिक राणा प्रताप बेरांगी की सार्वजनिक रूप से हत्या हुई थी. वहीं एक हिंदू विधवा महिला से गैंगरेज किया था. आरोपियों ने रेप के बाद उसे पेड़ से बांधकर पीटा भी था.

वलेट प्रश्नपत्र लीक

मामले की जांच के निर्देश के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2026 के परीक्षा से पहले कथित प्रश्न-पत्र लीक की समयबद्ध जांच कराने की मांग की एक याचिका दायर की गई है. देशके प्रमुख विधि कालेजों में प्रवेश के लिए सात दिसंबर को आयोजित क्लैट 2026 परीक्षा आयोजित होने से पहले प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के बाद यह जांच के दायरे में आ गई है. कई अभ्यर्थियों ने इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए अत्यांत का रुख किया है. यह भी अनुरोध किया है कि आरोप सही पाए जाते हैं तो पुनर्परीक्षा का आदेश दिया जाए.

शाह को हत्यारा कहने पर राहुल गांधी तलब

सुलतानपुर, 06 जनवरी. गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मंगलवार को सुलतानपुर एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. करीब 40 मिनट चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया है. उन्हें 19 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है.

राहुल गांधी के वकील ने गवाह राम चंद्र दुबे से जिरह पूरी की. शिकायतकर्ता ने कहा- अब हमारी तरफ से कोई गवाह पेश नहीं किया जाएगा. जस्टिस शुभम



वर्मा ने धारा 313 के तहत राहुल गांधी को तलब किया है. उन्हें खुद कोर्ट में आना होगा. इसका मतलब है कि अदालत राहुल को अपने खिलाफ आए सबूतों पर सफाई देना चाहती है, जिससे बिना सुने किसी को दोषी न ठहराया जाए.

राहुल के खिलाफ यह मामला 7 साल पहले कर्नाटक में अमित शाह के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है. राहुल ने 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है. इसके बाद सुलतानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त, 2018 को राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था.

रन-थ्रू ट्रेनों का ऐलान अनिवार्य

मुरादाबाद रेल मंडल के नए डीआरएम ने दिए आदेश

लोकों पायलटों के परिजनों से अपील

मुरादाबाद, 06 जनवरी. खुर्जा जंक्शन और रोजा में हुई रेल घटनाओं के बाद रेलवे प्रशासन सतर्क हो गया है. मुरादाबाद रेल मंडल के नए डीआरएम राजकुमार सिंह ने यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों के सुरक्षित संचालन को लेकर कड़े कदम उठाए हैं. इसी कड़ी में अब छोटे स्टेशनों पर भी रन-थ्रू ट्रेनों का अनारुंसेमेंट अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे पटरियों के पास मौजूद यात्री सतर्क रह सकें. 29 दिसंबर को

खुर्जा जंक्शन पर एक पैसंजर ट्रेन और मालगाड़ी आमने-सामने आ गई थीं. हालांकि, लोको पायलट की सूझबूझ से ट्रेन 200 मीटर पहले रुक गई और बड़ा हादसा टल गया. वहीं, 24 दिसंबर को रोजा में गरीब रथ की चपेट में आने से पांच लोगों की जान चली गई थी. डीआरएम ने लोकों पायलटों के साथ बैठक कर उनकी कार्टिसिलिंग की. उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी शंका की स्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत सूचित करें. इस दौरान एक अनूठी अपील लोकों पायलटों के परिजनों से भी की गई. उनसे आग्रह किया गया कि वे सुनिश्चित करें कि लोकों पायलट ड्यूटी पर जाने से पहले घर पर पूरी नींद लें.

कार्तिगई दीपम जलाने का फैसला बरकरार



चेन्नई, 06 जनवरी. मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को सिंगल बेंच के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें तिरुपुरकुंदम पहाड़ी पर स्थित प्राचीन पत्थर के दीप स्तंभ (दीपधूतन) पर अरुल्लिम्य सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के प्रतिनिधियों द्वारा कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी गई थी.

यह स्थान हजरत सुल्तान

कोई राज्य इतना नीचे न गिरे : हाईकोर्ट

सिकंदर बादशाह औलिया दरगाह के निकट है. सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ राज्य प्राधिकारी, दरगाह प्रबंधन और तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने याचिका दायर की थी.

हालांकि डिवीजन बेंच ने इन लोगों द्वारा कोई ठोस सबूत पेश करने में असफल बताया, जो यह साबित कर सके कि आगम शास्त्र के अनुसार दीप जलाना प्रतिबंधित है.

न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन और न्यायमूर्ति केके रामकृष्णन की खंडपीठ ने कहा कि यह मामला रेश ज्यूडिकाल से प्रभावित नहीं है, क्योंकि पूर्व के किसी भी मुकदमे में इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय नहीं दिया गया था. खंडपीठ ने तीसरी टिप्पणी करते हुए राज्य प्रशासन की दलीलों पर सवाल उठाए. पीठ ने अपने आदेश में कहा- यह हास्यास्पद और अविश्वसनीय है कि शक्तिशाली राज्य को यह उर है कि कि वह एक विशेष दिन मंदिर के प्रतिनिधियों द्वारा पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने से सार्वजनिक शांति भंग हो जाएगी. ऐसा तभी हो सकता है अगर राज्य खुद ऐसी अशांति को प्रायोजित करे. हम प्रार्थना करते हैं कि कोई राज्य अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इतना नीचे न गिरे.

सखी कोर्ट ने कहा- इस घटना ने देश के सबसे स्वच्छ शहर की छवि को नुकसान पहुंचाया

दूषित पानी मामले में हाई कोर्ट सख्त, मुख्य सचिव तलब

429 नए मरीज सामने आए

नव भारत न्यूज इंदौर, 6 जनवरी. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में मंगलवार को दूषित पेयजल से जुड़े पांच मामलों की एक साथ सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस घटना ने देश के सबसे स्वच्छ शहर की पहचान रखने वाले इंदौर की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल इंदौर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार और प्रशासन की

जिम्मेदारी है और इससे किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने संकेत दिए कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी तय की जा सकती है. साथ ही यह भी कहा गया कि यदि पीड़ितों को दिया गया मुआवजा अपर्याप्त पाया गया तो उस पर भी उचित निर्देश जारी किए जाएंगे. इस संबंध में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य

पीड़ितों को दिए दो-दो लाख के चेक...

जिला प्रशासन ने दूषित पानी से हुई मौतों के मामलों में मृतकों के परिजनों को राहत देते हुए दो दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए. जिन परिजनों को चेक दिए गए, उनमें उर्मिला पति अल्लु राम, मंजुला पति दिगंबर बाघे, सीमा पति गौरीशंकर, अख्यान पिता सुनील साहू, तारारानी कोरी, नंदलाल सिद्धार्थ पाल, उमा बिहारीलाल सुनील, संतोष पिता कल्याण, सुमित्रादेवी पति रामेश्वर दास, गोमती पति गोपाल, अशोक पिता मोतीलाल, रामकली पति जगदीश, शंकरलाल जीवनलाल बरडे, श्रवण पिता नाथू और गीताबाई धुकर शर्मिल हैं.

सचिव को 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं. महेश गर्ग एवं अन्य याचिकाकर्ताओं को और से वरिष्ठ अधिकार अजय बगड़िया, उनके

साथ सुश्री सैली पुरंदरे, मनीष यादव और रिदेश इनानी उपस्थित रहे, जबकि राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिका राहुल सेठी के साथ शासकीय अधिवक्ता आदित्य गर्ग तथा नगर निगम

मंगलवार को 429 नए मरीज सामने आए. फिलहाल 99 अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें 16 की हालत गंभीर है और उन्हें आईसीयू में रखा है. मरीजों के लिए एमवाय अस्पताल, अरविंदो अस्पताल और बच्चों के लिए चाचा नेहरू अस्पताल में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जबकि निजी अस्पतालों में इलाज कराने वालों को भी निःशुल्क जांच और दवाइयों के निर्देश दिए हैं.

इंदौर की ओर से अधिवक्ता ऋषि तिवारी ने पक्ष रखा.

भारत आज विश्व के शीर्ष तीन देशों में शामिल

उन्होंने कहा कि एआई विकास के क्षेत्र में भारत आज विश्व के शीर्ष तीन देशों में शामिल है. चीन, अमेरिका और भारत एआई डेवलपमेंट में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं. भारत की आईटी इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत है और एआई के माध्यम से यह शक्ति और सुदृढ़ होगी. मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार आधारित इकोसिस्टम भारत को वैश्विक स्तर पर एआई क्षेत्र में नेतृत्व की ओर ले जा रहे हैं. एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी. उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से राजस्थान तकनीकी नवाचार का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा और देश के युवाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा.